(127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3738-पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5-7-2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/13-14.

नासीर अली आत्मज नौसे अली
निवासी मकान नं. ईदगाह हिल्स
भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

सुनील कुमार महेश्वरी आत्मज सुरेशचंद्र महेश्वरी
निवासी अरेरा कॉलौनी, भोपाल
कृषक ग्राम अम्बाड़ी .....अनावेदक

श्री एम.एस. खान, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 5-7-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम अम्बाड़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन स्थित खसरा नम्बर 70/2 रकबा 1.619 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल दीवानगंज के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/13-14 पंजीबद्ध कर दिनांक 27-6-2014 को सीमांकन किया जाकर आदेश दिनांक 5-7-2014 द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा उसे सीमांकन कार्यवाही के संबंध में विधिवत सूचना दिये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि सीमांकन हेतु बनाये गये नियमों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होकर निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था, तब आवेदक को सीमांकन कार्यवाही के मध्य सीमांकन की जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा आपत्ति की गई । आवेदक की आपत्ति पर दिनांक 25-6-2014 को सीमांकन कार्यवाही स्थगित करते हुए यह मान्य किया गया कि राजस्व अभिलेख के अनुसार सीमा चिन्ह नहीं मिलने के कारण सीमांकन कार्य पूरा नहीं हो पाया, दिनांक 27-7-2014 को पुन: सीमांकन हेतु नियत किया गया । सीमांकन हेतु नियत दिनांक 27-7-2014 में ओवर रायटिंग कर, नियत दिनांक के पूर्व ही 27-6-2014 को सीमांकन कार्यवाही पूर्ण होना बतलाते हुए झूठा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा सर्वे नम्बर 70 का नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जबिक सीमांकन हेतु सर्वे नम्बर 70/2 के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नियमों का विधिवत पालन किए बिना आदेश पारित किया गया है, इसलिए सीमांकन कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के संबंध में आवेदक सहित समस्त पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं । आवेदक द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित होकर, सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की आपत्ति का निराकरण करते हुए सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार होने के कारण मान्य किए जाने योग्य नहीं है । आवेदक अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतत्र है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 5-7-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर